निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 71/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री प्रहलाद शर्मा, जाति बागड़ा ब्राह्मण, निवासी वार्ड नम्बर 13, नया वार्ड नम्बर 17, नीलकण्ठ कॉलोनी, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती कृष्णा देवी कुलवाल पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश कुलवाल,
2. आशीष कुलवाल पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश कुलवाल
   जाति महाजन, निवासी डी-173, भृगु मार्ग, सिन्धी कैम्प के पीछे, बनीपार्क, जयपुर।
3. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 178/2018 ब-उनवानी कृष्णा बनाम रमेश को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

1. श्री विक्रम सिंह तोमर अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री निर्मल कुमार जैन अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 26.08.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 178/2018 ब-उनवानी कृष्णा बनाम रमेश विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 की और से श्री निर्मल कुमार जैन अभिभाषक ने वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रकरण में जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया हुआ है तथा अपने पक्ष के दस्तावेजात भी पेश किये हुये है। प्रकरण में 5 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-151 सी.पी.सी. पेश शुदा लम्बित चले आ रहे थे। इन प्रार्थना पत्रो पर ना तो कोई सुनवाई हुई ना ही कोई आदेश पारित किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की जान पहचान पीठासीन अधिकारी से है और इस जान पहचान व परिचय तथा मित्रता के सम्बन्ध के कारण एवं अप्रार्थी संख्या 2 जो कि स्वयं एक आर.ए.एस. अधिकारी है, न्यायालय की कार्यवाही को प्रभावित करता है ओर अपने परिचय का अनुचित लाभ अपनी माताजी अप्रार्थी संख्या 1 के हित में पीठासीन अधिकरी से दिलवाता रहा है। पीठासीन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के आदेश 06 नियम 16 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र को नॉन स्पीकिंग आर्डर से व गैर कानूनी आदेश पारित कर स्वीकार कर लिया तथा प्रतिवादी संख्या 12 के जवाब

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

दावा व काउन्टर क्लेम को खारिज कर दिया। प्रार्थीया के 5 प्रार्थना पत्रों के लम्बित रहते हुये पीठासीन अधिकारी पत्रावली का आनन फानन में फैसला कर देने के उद्देश्य से प्रकरण को साक्ष्य वादिया में नियत कर दिया और प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 16 सी.पी.सी. को स्वीकार करने की तारीख पेशी साक्ष्य वादिया नियत कर दी। प्रार्थीया की ओर से 5 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के बाद साक्ष्य वादिया नियत किये जाने के निवेदन को पीठासीन अधिकारी ने मौखिक रूप से अस्वीकार कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 मुकदमें की पेशी के दिन पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आकर बैठ जाते है जहां चाहे नाश्ता चलता है और इस प्रकार पूरी विचारण प्रक्रिया को दूषित किया जाता है। प्रार्थी को सुनवाई का समुचित असवर प्रदान नहीं कर प्रकरण में जानबूझकर शीघ्रता करने से पीठासीन अधिकारी की कार्यशैली पर स्वतः ही प्रश्नचिन्ह् अंकित करते है। जिससे की प्रार्थी को पूर्ण अन्देशा हो गया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं है। प्रार्थीया को किसी प्रकार से पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की कोई आशा नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को पीठासीन अधिकारी से किसी प्रकार का निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

5. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

6. उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर से प्राप्त टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपो के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी के केवल कयास के आधार पर एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नजदीक तारीख पेशी दिये जाने पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

8. निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner